जेएनएनयूआरएम के यूआईजी कार्यान्श के नगरीय परिवहन परियोजना के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित यूनीफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथारिटी की दिनांक 03.09.2012 को अपरान्ह 4.00 बजे से 5.00 बजे के मध्य आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति–

सर्वश्री–

1. प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. वी0एस0भुल्लर, प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. संजय प्रसाद, सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. एम0देव राज, सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मनजीत सिंह, सचिव, आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा।
6. संजीव मित्तल, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
7. शालिनी प्रसाद, आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
8. रजनीश दुबे, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
9. आलोक कुमार, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
10. मृत्युजन्य कुमार नारायण, आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।
11. श्रीप्रकाश सिंह, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. राज मंगल, विशेष सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. विजय कुमार मिश्र, विशेष सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. अनुराग यादव, जिलाधिकारी, लखनऊ।
15. आर0के0चतुर्वेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।
16. मोहित अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद।
17. वी0के0सिंह, अपर मण्डलायुक्त, इलाहाबाद।
18. वी0के0सिंह, उपाध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी।
19. बी0डी0पाल्सन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी।
20. पदमजा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एमटीए. मथुरा।
21. सुनील चन्द्र बाजपेई, वरिष्ठ पुलिय अधीक्षक, आगरा।
22. रूद्र पताप सिंह, अपर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
23. अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष, इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद।
24. एम0आर0सिंह, पुलिस अधीक्षक, ट्रैफिक, कानपुर।
25. तनवीर जफर अली, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।
26. वी0के0 उपाध्यक्ष, मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा।
27. एन0के0सिंह चौहान, नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर।
28. दिनेश कुमार सिंह, नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
29. पी0एन0 दुबे, नगर आयुक्त, नगर निगम, इलाहाबाद।
30. एन0आर0वर्मा, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7–बंदरियाबाग, लखनऊ।
31. रवीन्द्र कुमार, सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण।
32. जे0के0 श्रीवास्तव, संयुक्त प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, लखनऊ।
33. पी0के0 श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
34. आर0आर0सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
35. विजय कुमार सिंह, सड़क परिवहन अधिकारी, लखनऊ।

36. हफीजुर्रहमान, सी0ओ0 यातायात मेरठ।
37. के0वी0चार्ल्स, मुख्य अभियंता, नगर निगम मेरठ।
38. रवि जैन, नगर निवोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
39. एस0के0जैन, अधिशासी अभियंता, नगर निगम, लखनऊ।
40. स्वामीनाथ राम, मुख्य पर्यावरण अभियंता, उ0प्र0पावर कारपोरेशन बोर्ड, लखनऊ।
41. अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।

बैठक में सर्वप्रथम प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित जेएनएनयूआरएम के यूआईजी कार्यान्श के नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित रिफार्म के अनुक्रम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित यूनीफाईड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अॅथारिटी की संरचना तथा इसके कार्यो एवं दायित्वों पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला गया। तत्पश्चात प्रस्तावित एजेण्डा बिन्दुओं के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

क0 सं0	एजेण्डा बिन्दु	निर्णय
1	1– राज्य तथा निकाय स्तर पर डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड की स्थापना– योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार राज्य तथा निकाय स्तर पर डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड की स्थापना हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव किया गया है:– (1) **राज्य स्तर पर डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड की स्थापना–** इस फण्ड के स्त्रोत के रूप में पेट्रोल पर अतिरिक्त ब्रिकी कर, 4 पहिया तथा 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण शुल्क, ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन पंजीकरण पर वार्षिक नवीनीकरण फीस, कन्जेशन टैक्स एवं ग्रीन टैक्स इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं। (2) **नगरीय स्तर पर डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड की स्थापना–** इस फण्ड के स्त्रोत के रूप में पार्किंग फीस, प्रापर्टी डेवलमेन्ट टैक्स, इम्प्लायमेन्ट टैक्स इत्यादि को प्रस्तावित किया गया है।	डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड के गठन के संबंध में भारत सरकार की गाइड लाइन में क्या व्यवस्था है, अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, फण्ड कैसे गठित होगा तथा इसे किन–किन कार्यो पर व्यय किया जायेगा। इसके संबंध में एक उप समिति (सबकमेटी) बनाकर एक कान्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया जाय ताकि एक माह पश्चात यूएमटीए की आहूत बैठक में इस पर विचार–विमर्श कर इसे मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके। कान्सेप्ट पेपर यूएमटीए की बैठक आहूत किये जाने के 10 दिन पूर्व संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिया जाय। कान्सेप्ट पेपर में नोएडा/ग्रेटर नोएडा के नगरीय परिवहन की व्यवस्था को भी शामिल किया जाय।
2	2– मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु मण्डलयुक्त की अध्यक्षता में गठित एसपीवी के क्षमता विकास तथा सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नलिखित कदम उठाया जाना :– (1) उत्तर प्रदेश शासन तथा एसपीवी के	नगरीय बसों के संचालन के संबंध में पूर्व अनुमोदित मा0 मंत्रि--परिषद की टिप्पणी की समीक्षा कर लिया जाय तथा जिन बिन्दुओं को हटाना/शामिल करना है, उसके संबंध में कंसलटेन्ट से परामर्श कर लिया जाय। अन्य शहरों में नगरीय बसों के संचालन का मॉडल क्या

	मध्य दीर्घकालीन कन्सेशन एग्रीमेन्ट सम्पादित किया जाना। (2) नगरीय बसों के संचालन हेतु बस डिपों, वर्कशाप तथा इससे संबंधित अवस्थापना सुविधायें एसपीवी को हस्तान्तरित किया जाना। (3) एसपीवी को यात्री किराये को पुनरीक्षित किये जाने का अधिकार प्रदान किया जाना।	है, इसका अध्ययन कर लिया जाय। यात्री किराये को पुनरीक्षित किये जाने का अधिकार एसपीवी को दिये जाने तथा उक्त सभी विषयों के संबंध में विचार–विमर्श कर एक कान्सेप्ट पेपर तैयार कर लिया जाय। उक्त कान्सेप्ट पेपर 01 माह पश्चात आहूत होने वाली यूएमटीए की बैठक के 10 दिन पूर्व संबंधित विभागों को उपलब्ध करा दिया जाय ताकि उक्त बैठक में विचार–विमर्श कर संशोधित प्रस्ताव मा0 मंत्रि–परिषद के समक्ष ले जाया जा सके।
3	**3– नगरीय बसो के संचालन हेतु बायबिलिटी गैप की फण्डिंग–** मिशन शहरों में नगरीय बसों का संचालन यूपीएसआरटीसी द्वारा किया जा रहा है। यूपीएसआरटीसी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन में हानि हो रही है। यूपीएसआरटीसी द्वारा नगरीय बसों में हो रही हानि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 23.11.2011 को एक बैठक आयोजित की गयी थी। उक्त बैठक में लिये गये निर्णय निम्नवत् हैः–	
	(1) पूँजी अंशदान के बकाया के संबंध में यह मत स्थिर हुआ कि चूँकि पूँजी अंशदान ही पूंजीगत व्यय के रूप में है। अतः यह अवस्थापना सुधार के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है क्योंकि बसों का संचालन भी एक प्रकार का अवस्थापना सुधार है। अतः इस धनराशि की प्रतिपूर्ति सक्षम स्तर अनुमोदन प्राप्त कर नगर निगम, विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद की अवस्थापना निधि से किया जा सकता है। यह इंगित करने पर कि आवास विकास परिषद् एसपीवी में अभी नहीं है, यह मत स्थिर हुआ कि इसे भी एसपीवी में शामिल कराया जाय और यदि इस हेतु मा0 मंत्रि–परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता हो तो निर्धारित प्रकिया से अनुमोदन प्राप्त किया जाय। (**कार्यवाही** : उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम/नगर विकास विभाग)	मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन के परिप्रेक्ष्य में कैपिटल पूँजी (पैरास्टेटल अंश) की धनराशि दिनांक 23.11.2011 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुक्रम में संबंधित विकास प्राधिकरण, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा नगर निगम द्वारा तत्काल यू.पी.एस.आर.टी.सी. को उपलब्ध करा दी जाय। इस हेतु समस्त मण्डलायुक्त, उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद एवं नगर आयुक्तों को बैठक में भी निर्देश दिये गये। नगर विकास विभाग द्वारा इसमें निर्देश भी प्रसारित किए जाएं तथा आगली बैठक से पूर्व अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा नगर विकास द्वारा अनुदान की राशि से कटौती करने पर विचार किया जाय।

	(2) उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा अवशेष 170 बसों के क्रम में 30 प्रतिशत धनराशि दिये जाने में असमर्थता व्यक्त की गयी। इस पृष्ठभूमि में भारत सरकार को अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाना उपयुक्त पाया गया। अतः निश्चित हुआ कि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम इस आशय का औपचारिक प्रस्ताव उपलब्ध करायें। (**कार्यवाही** : उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम/नगर विकास विभाग)	यू.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव से नगर विकास विभाग द्वारा भारत सरकार को अवगत करा दिया जाय।
	(3) दिल्ली की नगरीय परिवहन व्यवस्था के अनुभवों का लाभ लिया जाय। इस हेतु अध्ययन रिपोर्ट तथा टेण्डर डाक्यूमेंट को समस्त सम्बन्धित को उपलब्ध करा दी जाय। दिल्ली की भांति पीपीपी के अन्तर्गत बस स्टापेज बनाने की कार्यवाही एसपीवी द्वारा की जाय तथा विज्ञापन आय निश्चित करते समय लखनऊ से इसकी तुलना की जाय। (**कार्यवाही** : उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम/नगर विकास विभाग)	इस सम्बन्ध में दिल्ली की नगरीय परिवहन व्यवस्था का अध्ययन यथाशीघ्र करके सम्यक् प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।
	(4) बसों के निर्धारित रूटों पर यथावश्यकता चेकिंग अभियान चलाया जाय जिससे घाटे की स्थिति से निपटा जा सके। (**कार्यवाहीः** समस्त मण्डलायुक्त/समस्त एसपीवी/उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम)	यू.पी.एस.आर.टी.सी/एसपीवी द्वारा कार्यवाही की जा रही है।
	(5) नगरीय बसों के प्रयोग के लिए शहर की परिधि के स्कूलों, कालेजों एवं संस्थानों/प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित किया जाय, जिससे अतिरिक्त आय हो सके। (**कार्यवाही** : समस्त एसपीवी/उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम)	संबंधित एस.पी.वी. द्वारा सघन अभियान चलाकर जागरूकता फैलायी जाय।
	(6) लखनऊ की भांति बसों पर विज्ञापन की व्यवस्था कराकर आय में वृद्धि के प्रयास किये जायें। (**कार्यवाही** : समस्त मण्डलायुक्त/एसपीवी)	लखनऊ में इस प्रकार के विज्ञापन प्रारम्भ किये गये हैं। इस संबंध में यू.पी.एस.आर.टी.सी. मॉडल ड्राफ्ट बनाकर समस्त एसपीवी को भेज दिये जायें ताकि वे इस का लाभ उठा सकें।
	(7) आय को बढ़ाने के समस्त प्रयास किये जायें तथा अनुरक्षण एवं रखरखाव के खर्च को कम करने के प्रयास किये जायें।	यू.पी.एस.आर.टी.सी/एसपीवी द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जाय।

	(कार्यवाहीः समस्त मण्डलायुक्त/एसपीवी/उ0प्र0 राज्य सड़कपरिवहन निगम)	
	(8) डिपों कार्यालय, बस स्टेशन तथा टर्मिनल हेतु भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा एक भूमि दुबग्गा में उपलब्ध कराई गई है। डिपो/स्टेशन व शेल्टर हेतु वृन्दावन योजना तथा विराज खण्ड, गोमती नगर में भूमि चिन्हित कर लेने के उपरान्त एसपीवी लखनऊ को हस्तान्तरित किया जाना लम्बित है। इलाहाबाद में गद्दोपुर एक भूमि उपलब्ध है तथा उच्च न्यायालय के पास राजकीय आस्थान की एक भूमि चिन्हित की गई है। वाराणसी में ट्रांसपोर्ट नगर में एक भूखण्ड उपलब्ध कराने का आश्वासन मण्डलायुक्त द्वारा दिया गया है। मण्डलायुक्त आगरा ने शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में निर्देश प्राप्त हुये कि जहां पर भूमि उपलब्ध हो गई है, वहॉ भूमि तत्काल एस.पी.वी. को हस्तान्तरित कर दिया जाय तथा जहां भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, वहां तत्काल इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय। (कार्यवाहीः समस्त मण्डलायुक्त/समस्त एसपीवी/उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम)	यूएमटीए की आगामी बैठक के पूर्व मण्डलायुक्त द्वारा एसपीवी की बैठक कर एसपीवी के समस्त कार्यो की समीक्षा कर लें। साथ ही भूमि चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही की जाय तथा आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।
4	**4– मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु बस डिपो/वर्कशाप हेतु भूमि की उपलब्धता–** नगरीय परिवहन परियोजना के अन्तर्गत मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु बस डिपो/वर्कशाप हेतु भूमि संबंधित नगरीय निकाय/विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना है। लखनऊ तथा कानपुर में 3–3 बस डिपो तथा शेष शहरों में 2–2 बस डिपो की आवश्यकता का आकंलन किया गया है। प्रति बस डिपो हेतु 5 से 6 एकड़ भूमि की आवश्यकता है।	यूएमटीए की आगामी बैठक के पूर्व मण्डलायुक्त द्वारा एसपीवी की बैठक कर भूमि चिन्हित कर आवश्यक कार्यवाही कर लें तथा आगामी बैठक में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।
5	**5– मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एसपीवी के स्ट्रेटजिक पार्टनर के चयन**	कान्सैप्ट पेपर के साथ आगामी बैठक में विचार–विमर्श किया जायेगा।

	की प्रगति– मिशन शहरों में नगरीय बसों के संचालन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में एस.पी.वी. कम्पनी का गठन किया गया है। एसपीवी के स्ट्रेटिक पार्टनर के चयन हेतु आर.एफ.क्यू. डाकुमेन्ट का प्रकाशन किया गया था। प्री–बिड कान्फेन्स में प्रसन्ना ट्रेवेल्स, टीवीएस लाजिस्टक, एन.आर.एल. प्रा0लि0 गोल्डरश प्रा0 लि0 द्वारा प्रतिभाग किया गया है। स्थिति यह है कि किसी भी आपरेटर द्वारा फिलहाल बसों के संचालन में अभी तक रूचि नहीं दिखायी गयी है। पुनः नये सिरे से पीपीपी मोड पर योजना के क्रियान्वयन हेतु विचार किया जाना है। वर्तमान में मिशन शहरों में नगरीय बसों का संचालन एस.पी.वी. के माध्यम से यू.पी.एस.आर.टी.सी. द्वारा किया जा रहा है।	
6	**6– मिशन शहरों मे नगरीय बसों के संचालन हेतु मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित एसपीवी के स्ट्रेटजिक पार्टनर के चयन हेतु ट्रांजक्शन एडवाइजर का चयन किया जाना–** स्ट्रेटजिक पार्टनर के चयन हेतु आबद्ध परामर्शी यूएमटीसी द्वारा पार्टनर के चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी है। यूएमटीसी द्वारा नये ट्रांजक्शन एडवाइजर के चयन/नया एग्रीमेन्ट किये जाने का अनुरोध किया गया है।	कान्सैप्ट पेपर के साथ आगामी बैठक में विचार–विमर्श किया जायेगा।
7	7– नगरीय बसों के संचालन के अन्तर्गत प्रभावी चेकिंग हेतु एस.पी.वी. को संबंधित नगर निगम/विकास प्राधिकरण द्वारा 03 वाहन, इसके अतिरिक्त संबंधित उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस हेतु 01 उपनिरीक्षक, 02 हेड कास्टेबिल को सम्बद्ध किया जाय।	आगामी बैठक में विचार–विमर्श किया जायेगा।

उक्त कार्यवृत्त मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनोंपरान्त जारी किया जा रहा है।

(प्रवीर कुमार)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या–3638/ नौ–5–2012–83सा / 2009टीसी
लखनऊः दिनांक24 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, परिवहन / नियोजन / लोक निर्माण / कर एवं निबन्धन / वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ / कानपुर / आगरा / वाराणसी / इलाहाबाद / मेरठ।
4. उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, लखनऊ / कानपुर / आगरा / वाराणसी / इलाहाबाद / मेरठ तथा मथुरा।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस. अधीक्षक, लखनऊ / कानपुर / आगरा / वाराणसी / इलाहाबाद / मेरठ तथा मथुरा।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ / कानपुर / आगरा / वाराणसी / इलाहाबाद / मेरठ।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, 7–बंदरियाबाग, लखनऊ।
8. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
9. महाप्रबन्धक, भारतीय रेल, लखनऊ।
10. संभागीय परिवहन अधिकारी, लखनऊ।
11. प्रबन्ध निदेशक, राज्य सेतु निगम, लखनऊ।
12. क्षेत्री प्रबन्धक, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मथुरा।
14. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
15. निजी सचिव, प्रमुख सचिव / सचिव / विशेष सचिव, नगर विकास विभाग।
16. उपसचिव / अनु सचिव, नगर विकास विभाग।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)
विशेष सचिव।